कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक 26.02.2023

थाना रामनगर अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे अस्सी घाट के सामने रेत पर गोली मारने की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.दिलीप यादव उर्फ दरोगा व पीयूष सिंह को थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में दिनांक 26.02.2023 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर खास सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-0043/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 308, 323, 504 भा0द0वि0 थाना रामनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र 19 वर्ष व 2. पियूष सिहं पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम कोदोपुर (चांदमारी के पास) थाना रामनगर वाराणसी उम्र 19 वर्ष को रामबाग पोखरे के पश्चिम स्थित चबूतरे के पास से दिनांक- 26.02.2023 को समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग :- मु0अ0सं0-0043/2023 धारा 147/148/149/307/308/323/504 भा0द0वि0 व बढ़ोत्तरी 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24/02/2023 को आवेदक रविन्द्र यादव उर्फ बसन्तु पुत्र श्री इन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ने लिखित सूचना दिया कि आवेदक मौजा कोदोपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी में मवेशी रखकर परिवार के साथ रहता है। दिनांक 24.02.2023 को समय लगभग 5 बजे सायं काल ग्राम कोदोपुर गंगा नदी के किनारे के पास आठ नव की संख्या में व्यक्ति मोटरसाइकिल से आये जिसमें दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर थाना रामनगर व पियूस सिहं पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम कोदोपुर (चांदमारी के पास) के हैं जो अपने हाथ में कट्टा लिए थे हमारे भतीजा जितेन्द्र यादव एवं चाचा के लड़के हरिओम यादव को गाली देने लगे मना करने पर फायर कर दिये जिससे मेरे भतीजे को सीने के नीचे बाए तरफ लगी हैं जब बचाव में हरिओम आया तो उसको भी फायर किये लेकिन गोली बगल से निकल गयी। तब उसे राड़ से सिर पर प्राणघातक हमला किये जो घायल हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

2. पीयूष सिहं पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम कोदोपुर (चांदमारी के पास) रामनगर वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक-

1. **दिलीप यादव उर्फ दरोगा-**
    1. मु0अ0सं0-0009/2023 धारा 147/323/435 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान:- दिनांक- 26.02.2023, समय करीब 14.00 बजे, स्थान- रामबाग पोखरे के पश्चिम स्थित चबूतरे के पास।

बरामदगी का विवरण-

दिलीप यादव के निशादेही पर मुकदमें से सम्बन्धित 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे की राड (पाइप) आला शस्त्र।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री भरत उपाध्याय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार तिवारी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री पवन कुमार राय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. उ0नि0 श्री शिवसहाय सरोज थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. उ0नि0 श्री स्वतंत्र कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. उ0नि0 श्री रामरूप यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. उ0नि0 श्री रोहित रमन सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 गंगा प्रसाद वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का0 अखिलेश कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
11. का0 शशि कुमार थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
12. का0 अजय कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
13. का0 मदन सेन थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
14. का0 निर्मल कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
15. का0 संदीप गुप्ता थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त
जोन काशी
कमिश्नरेट वाराणसी।